ए.

जी. एन. आर. बाबू @एस. एन. बाबू बनाम

डॉ. बी. सी. मुथप्पा और ओ. आर. एस. (2022 की सिविल अपील संख्या 6228) सितंबर 06,2022

बी.

[अजय रस्तोगी और अभय एस**.** ओका**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-एसएस।96, 105 & Or.IX,आर. 13-प्रतिवादी के खिलाफ एकतरफा डिक्री-अपील यू/एस।96 – निर्णय का दायरा-प्रथम प्रतिवादी द्वारा दायर मुकदमे में अपीलार्थी-प्रतिवादी के खिलाफ एकतरफा डिक्री पारित की गई थी-अपीलार्थी की याचिका कि उच्च न्यायालय अपील यू/एस में।96 योग्यता के आधार पर डिक्री की पुष्टि करते हुए इस आधार पर आगे बढ़ाया गया कि मुकदमा समन की तामील करने में विफलता के संबंध में मुद्दा केवल आर का आह्वान करके एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने के लिए दायर आवेदन में उत्तेजित किया जा सकता है।13 Or.IX-की शुद्धता-आयोजितःअपील दायर करके एकतरफा डिक्री को चुनौती देते समय अपीलकर्ता हमेशा निचली अदालत के रिकॉर्ड से यह इंगित कर सकता है कि उसके खिलाफ मुकदमे के साथ आगे बढ़ने के लिए पारित आदेश अवैध था-हालांकि वह निचली अदालत के समक्ष अपनी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण बताने के लिए अपील में साक्ष्य का नेतृत्व करने का हकदार नहीं होगा, वह हमेशा मुकदमे के रिकॉर्ड के आधार पर बहस कर सकता है कि या तो मुकदमा समन उस पर नहीं चलाया गया था या अन्यथा भी, निचली अदालत उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने में उचित नहीं थी-केवल तभी जब प्रतिवादी द्वारा किया गया आवेदन यू/आर।13 या से। IX को खारिज कर दिया जाता है कि ऐसा प्रतिवादी एकतरफा डिक्री के खिलाफ अपील में आंदोलन नहीं कर सकता है कि यह निर्देश देने वाला आदेश कि मुकदमा एकतरफा आगे बढ़ेगा, अवैध या गलत था-हालाँकि, वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने यू/आर के तहत आवेदन दायर नहीं किया था।13 इसलिए, इस तरह का विवाद उसके द्वारा उठाया जा सकता है-इसके अलावा, अपीलार्थी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने वाले तथ्यों पर वारंट नहीं था-उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट के डिक्री को दरकिनार कर दिया गया-इसके अलावा, तथ्यों पर मुकदमे के रिमांड के लिए अनुरोध स्वीकार किया जाता है-अपीलार्थी को रुपये का भुगतान करने के लिए-पहले प्रतिवादी को-मूल मुकदमा बहाल किया जाता है।सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 -s.105-आयोजितःएस के तहत।105 जब किसी डिक्री के खिलाफ अपील की जाती है, तो मामले के निर्णय को प्रभावित करने वाले किसी भी आदेश में किसी भी त्रुटि, दोष या अनियमितता को अपील ज्ञापन में आपत्ति के आधार के रूप में रखा जा सकता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

203 ए.

204 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 11 एस. सी. आर.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-याआर. 17-अपीलार्थी और दूसरे प्रत्यर्थी के खिलाफ पारित एकतरफा डिक्री की गैर-पूर्ति के तहत आवश्यकता यह देखते हुए कि वे समन की सेवा के बावजूद उपस्थित नहीं हुए-आयोजितःअभिलेख से पता चलता है कि नियमित रूप से समन देने का प्रयास विफल रहा क्योंकि अपीलार्थी के परिसर को बंद पाया गया-विचारण न्यायालय ने उस परिसर के बाहरी दरवाजे पर समन की एक प्रति चिपकाने का निर्देश नहीं दिया जिसमें अपीलार्थी रह रहा था, जैसा कि आर द्वारा आवश्यक है।17 ओ. आर. वी. का-यह सत्यापित किए बिना कि क्या अपीलार्थी का पता, जैसा कि मुकदमे के कारण शीर्षक में दिखाया गया है, समन को पंजीकृत डाक एडी-डिक्री के माध्यम से तामील करने का आदेश दिया गया था।

बी.

सी.

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया कि **1.1** इस मामले में, सवाल यह है कि जब प्रतिवादी ने सी. पी. सी. के आदेश **IX** के नियम **13** के तहत उपचार का लाभ नहीं उठाया, तो क्या उसके लिए डिक्री के खिलाफ नियमित अपील में आंदोलन करने के लिए खुला है कि निचली अदालत के पास अपीलार्थी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं था।ऐसे मामले में, हालांकि अपीलकर्ता निचली अदालत के समक्ष अपनी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण बताने के लिए अपील में साक्ष्य का नेतृत्व करने का हकदार नहीं होगा, वह हमेशा मुकदमे के रिकॉर्ड के आधार पर तर्क दे सकता है कि या तो मुकदमा समन उस पर नहीं चलाया गया था या अन्यथा भी, निचली अदालत उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने में उचित नहीं थी।कारण यह है कि सी. पी. सी. की धारा **105** के तहत, जब किसी डिक्री के खिलाफ अपील की जाती है, तो मामले के निर्णय को प्रभावित करने वाले किसी भी आदेश में किसी भी त्रुटि, दोष या अनियमितता को अपील ज्ञापन में आपत्ति के आधार के रूप में रखा जा सकता है।इस प्रकार,

ऐसे मामले में, अपीलकर्ता हमेशा डिक्री के खिलाफ अपील में आग्रह कर सकता है कि मामले के निर्णय को प्रभावित करने वाले मुकदमे के लंबित रहने के दौरान पारित एक अंतरिम या अंतर्वर्ती आदेश अवैध था।इसलिए, अपीलकर्ता, अपील दायर करके एकतरफा डिक्री को चुनौती देते हुए, हमेशा निचली अदालत के रिकॉर्ड से इंगित कर सकता है कि उसके खिलाफ मुकदमे के साथ आगे बढ़ने के लिए पारित आदेश अवैध था।जैसा कि भानु कुमार जैन के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, केवल तभी जब सी. पी. सी. के आदेश **IX** के नियम **13** के तहत एक प्रतिवादी द्वारा किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाता है कि ऐसा प्रतिवादी एकतरफा डिक्री के खिलाफ अपील में आंदोलन नहीं कर सकता है कि यह निर्देश देने वाला आदेश कि मुकदमा एकतरफा रूप से आगे बढ़ेगा, अवैध या गलत था।हालाँकि, इस मामले में, अपीलार्थी ने ए के नियम **13** के तहत आवेदन दायर नहीं किया है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

205

जी. एन. आर. बाबू @एस. एन. बाबू बनाम डी. आर. बी. सी. मुथप्पा और ओ. आर. एस.

सी. पी. सी. का आदेश **IX**। इसलिए, इस तरह का विवाद उनके द्वारा उठाया जा सकता है। **[**पैरा **8] [210-**एफ-एच; **211-**ए-सी**]**

भानु कुमार जैन बनाम अर्चना कुमार और अन्र। **(2005) 1**

एससीसी **787:[2004] 6** पूरक।एस. सी. आर. **1104-**पर निर्भर।

1.2 हाथ में मामले के तथ्यों पर, यह पाया गया है कि **27** अक्टूबर **2014** को निचली अदालत के आदेश पत्र में एक टिप्पणी है कि अपीलार्थी और दूसरे प्रतिवादी को जारी किए गए समन को इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया था कि उनके संबंधित परिसर बंद थे। हालाँकि, **05** जनवरी **2015** को, निचली अदालत ने उसी पते पर पंजीकृत पोस्ट पावती द्वारा समन जारी करने का आदेश दिया।**05** मार्च **2015** के आदेश पत्र में दर्ज किया गया है कि अपीलार्थी और दूसरे प्रतिवादी को डाक द्वारा भेजे गए समन को "सूचना वितरित" टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया था।इस प्रकार, अभिलेख से पता चलता है कि नियमित तरीके से समन देने का प्रयास विफल रहा क्योंकि अपीलार्थी के परिसर को बंद पाया गया था।निचली अदालत ने सी. पी. सी. के आदेश **5** के नियम **17** के अनुसार, उस परिसर के बाहरी

दरवाजे पर समन की एक प्रति चिपकाने का निर्देश नहीं दिया, जिसमें अपीलार्थी रह रहा था। यह सत्यापित किए बिना कि क्या अपीलार्थी का पता, जैसा कि मुकदमे के कारण शीर्षक में दिखाया गया है, सही था, समन को पंजीकृत डाक एडी के माध्यम से तामील करने का आदेश दिया गया था। इसलिए, अपीलार्थी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के लिए कोई वारंट नहीं था।इसके अलावा, प्रत्युत्तर से यह पता चलता है कि सूट संपत्ति पर भूतल और चार मंजिलों वाली एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया गया है और सूट संपत्ति पर इमारत में आवासीय परिसर पर अलग-अलग व्यक्तियों का कब्जा है।जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सूट संपत्ति पर निर्मित इमारत को ध्वस्त करने के लिए एक आदेश पारित किया गया है।मुकदमे की रिमांड की प्रार्थना को स्वीकार करने का यह एक और कारण है।यह मुकदमा वर्ष **2014** में दायर किया गया था।रिमांड का आदेश पारित करने के परिणामस्वरूप, पहले प्रतिवादी द्वारा दायर मुकदमे के निपटारे में देरी होगी।इसलिए, अपीलार्थी को रुपये **2,00,000-(**केवल दो लाख रुपये**)** की लागत के साथ भुगतान करना होगा।हालाँकि इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है कि क्या भवन के रहने वाले मुकदमे के लिए आवश्यक पक्षकार हैं, लेकिन पहले प्रतिवादी को, यदि वह चाहता है, तो उस पर निर्मित भवन में परिसर के कब्जे वाले व्यक्तियों को शामिल करने की स्वतंत्रता देनी होगी।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

सूट संपत्ति।उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश के साथ-साथ बैंगलोर में सिटी सिविल कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया गया है।**2014** के मूल सूट **No.6610** को सिटी सिविल कोर्ट, बैंगलोर की फाइल में बहाल कर दिया गया है।प्रथम प्रत्यर्थी अपीलार्थी से रु**. 2,00,000-(**केवल दो लाख रुपये**)** पर निर्धारित लागत का हकदार होगा।लागत का भुगतान पूर्ववर्ती शर्त होगी।**[**पारस **9-11,13] [211-D-H; 212-A-C, F]**

बी.

भीवचंद्र शंकर मोरे बनाम बालू गंगाराम मोरे

& ओआरएस। **(2019) 6** एससीसी **387:[2019] 7** एस**.** सी**.** आर**. 298-**संदर्भित।

सी.

संदर्भित विधि निर्णय

[2004] 6 पूरक।एससीआर **1104**

उस पर भरोसा करें

पैरा **6**

[2019] 7 एससीआर **298**

पैरा **6** को संदर्भित किया गया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2022 की सिविल अपील संख्या 6228।

डी.

2016 के आर. एफ. ए. सं. 494 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

आनंद संजय एम. नुली, धर्म सिंह, सूरज कौशिक, नंद कुमार के. बी., मेसर्स नुली और नुली, एड.अपीलार्थी के लिए।

ई.

अरविंद कामत, वरिष्ठ अधिवक्ता, शिवराम जसरा, भार्गव वी. देसाई, सुश्री चारू मोदी, एस. के. कुलकर्णी, एम. गिरीश कुमार, अंकुर एस. कुलकर्णी, सुश्री उदिता चक्रवर्ती, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एफ.

अभय एस**.** ओकेए**,** जे**.**

1. छुट्टी दे दी गई।

2. अपीलार्थी, जो मूल प्रथम प्रतिवादी है, ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सी. पी. सी.') की धारा 96 के तहत 2016 की R.F.A.No.494 अपील में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित 22 मार्च 2016 के फैसले और आदेश पर आपत्ति जताई है।

जी.

3. पहला प्रतिवादी जो मूल वादी है, ने बैंगलोर (अब बेंगलुरु) में सिटी सिविल कोर्ट में ए घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया।

एच.

207

जी. एन. आर. बाबू @एस. एन. बाबू बनाम डी. आर. बी. सी. मुथप्पा और ओ. आर. एस.
[अभय एस. ओकेए, जे.] ए.

कि वह बी. टी. एम. लेआउट, बैंगलोर में साइट No.28 से युक्त मुकदमे की संपत्ति विषय वस्तु का पूर्ण मालिक था।साइट No.28, पहले उत्तरदाता के अनुसार, सर्वेक्षण संख्या वाली भूमि शामिल थी।56, 57 और बिल्केनहल्ली गाँव के 60 और सर्वेक्षण संख्या।61, 71 और एन. एस. पल्या गाँव, बैंगलोर दक्षिण तालुक, बैंगलोर के 72।साइट No.28 को इसके बाद "सूट संपत्ति" के रूप में संदर्भित किया जाता है।स्वामित्व की घोषणा का दावा करने के अलावा, पहले प्रतिवादी ने तर्क दिया कि मुकदमा संपत्ति पर अपीलार्थी द्वारा बनाई गई संरचना अवैध थी और इसलिए, संरचना को हटाने के लिए एक डिक्री की मांग की गई थी।इस अपील में अन्य दो प्रतिवादी क्रमशः दूसरे और तीसरे प्रतिवादी थे।बैंगलोर में सिटी सिविल कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने 19 सितंबर 2015 के अपने फैसले और आदेश द्वारा पहले प्रतिवादी को मुकदमे की संपत्ति का मालिक घोषित करके एक घोषणात्मक डिक्री पारित की।एक डिक्री भी पारित की गई थी जिसमें अपीलार्थी और दूसरे प्रतिवादी को मुकदमे की संपत्ति पर संरचना को हटाने का निर्देश दिया गया था।अपीलार्थी और दूसरे प्रत्यर्थी को मुकदमे की संपत्ति में प्रवेश करने और पहले प्रत्यर्थी द्वारा उसके शांतिपूर्ण कब्जे और आनंद में हस्तक्षेप करने से स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश द्वारा भी प्रतिबंधित किया गया था।उक्त निर्णय के पैराग्राफ 20 में, विद्वत विचारण न्यायाधीश ने कहा कि अपीलार्थी और दूसरा प्रतिवादी समन की सेवा के बावजूद उपस्थित नहीं हुए और मुकदमे को चुनौती नहीं दी।विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर आदेश की पुष्टि की।

बी.

सी.

डी.

ई.

4. अपील के समर्थन में, डिक्री के गुण-दोष पर विभिन्न तर्कों को उठाने के अलावा, अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री आनंद संजय एम. नुली ने आग्रह किया कि वाद के कारण शीर्षक में उल्लिखित अपीलार्थी का पता गलत था और वाद की स्थापना की तारीख पर, वह अपील के आधार पर निर्धारित दूसरे पते पर रह रहा था।इसलिए, अपीलार्थी को मुकदमा समन विधिवत

रूप से नहीं दिया गया था।5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय गलत आधार पर आगे बढ़ा कि मुकदमा समन की तामील करने में विफलता के संबंध में मुद्दा केवल सी. पी. सी. के आदेश IX के नियम 13 को लागू करके एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने के लिए दायर आवेदन में उत्तेजित किया जा सकता है। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का निवेदन यह है कि वाद के अभिलेख के आधार पर, अपीलार्थी हमेशा यह इंगित कर सकता है कि समन की सेवा प्रभावित नहीं हुई थी या अन्यथा उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करना अवैध था।वह आगे प्रस्तुत करेगा कि जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दायर प्रत्युत्तर से देखा जा सकता है, एक बहुमंजिला इमारत जिसमें जमीन और चार ऊपरी मंजिलें हैं।

एफ.

जी.

एच.

अपीलार्थी द्वारा सूट संपत्ति पर बहुत पहले निर्माण किया गया था और इमारत पर परिसर के खरीदारों का कब्जा है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि परिसर के खरीदारों को पक्षकारों के रूप में शामिल किए बिना सूट संपत्ति पर निर्मित उक्त भवन को ध्वस्त करने के लिए एक बहुत ही कठोर आदेश पारित किया गया है।इसलिए, वह आग्रह करेंगे कि निचली अदालत के आदेश को दरकिनार करके, मुकदमे को नए सिरे से निर्णय के लिए रिमांड पर लिया जाए।

बी.

6. प्रथम प्रतिवादी-वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अरविंद कामत ने प्रस्तुत किया कि तीसरा प्रतिवादी-बैंगलोर विकास प्राधिकरण मुकदमे की संपत्ति का मालिक था और पहला प्रतिवादी तीसरे प्रतिवादी से मुकदमे की संपत्ति का आवंटनकर्ता है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि जिस बिक्री विलेख के आधार पर अपीलार्थी स्वामित्व का दावा कर रहा है, वह किसी अन्य संपत्ति के संबंध में है, जैसा कि बिक्री विलेख में संपत्ति के विवरण से देखा जा सकता है।विद्वान वरिष्ठ वकील ने भानु कुमार जैन बनाम अर्चना कुमार और अन्न के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। 1 अपने इस तर्क के समर्थन में कि एक पक्षीय डिक्री के खिलाफ अपील में, अपीलार्थी-प्रतिवादी केवल गुण-दोष के आधार पर डिक्री को चुनौती दे सकता है।यदि वह इस आधार पर डिक्री को चुनौती देना चाहता है कि उसे समन विधिवत नहीं दिया गया था या उसे मुकदमे में उपस्थित होने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो उसका उपाय सी. पी.

सी. के आदेश IX के नियम 13 के तहत लागू करना है। उन्होंने भीवचंद्र शंकर मोरे बनाम बालू गंगाराम मोरे और अन्य के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर भी भरोसा किया। 2 जिसमें भानु कुमार जैन 1 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का पालन किया गया था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के लिए निचली अदालत के आदेश को इस आधार पर चुनौती देने का अधिकार नहीं है कि समन विधिवत रूप से लागू नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन दायर नहीं किया है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय का एक समवर्ती निष्कर्ष है कि पहले प्रतिवादी ने मुकदमे की संपत्ति पर अपना अधिकार और स्वामित्व स्थापित कर लिया है और उस पर निर्मित इमारत पूरी तरह से अवैध है।इसलिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया कि वर्तमान अपील को खारिज कर दिया जाए।

सी.

डी.

ई.

एफ.

7. हमने प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।सबसे पहले, हम सी. पी. सी. की धारा 96 के तहत एक प्रतिवादी द्वारा दायर अपील में निर्णय के दायरे पर विचार करेंगे, जिसके खिलाफ निचली अदालत ने एकतरफा कार्यवाही की है और एक डिक्री पारित की गई है।भानु कुमार जैन 1 के मामले में इस न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की एक पीठ ने

जी.

1 (2005) 1 एससीसी 787 2 (2019) 6 एससीसी 387 ए

एच.

209

जी. एन. आर. बाबू @एस. एन. बाबू बनाम डी. आर. बी. सी. मुथप्पा और ओ. आर. एस. [अभय एस. ओकेए, जे.] ए.

एक मामला जहां सी. पी. सी. के आदेश IX के नियम 13 के तहत एक प्रतिवादी द्वारा एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने के लिए आवेदन दायर किया गया था। उक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया।यहां तक कि उक्त आवेदन को खारिज करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील को भी खारिज कर दिया गया था।उक्त प्रतिवादी द्वारा सी. पी. सी. की धारा 96 के तहत एक अपील भी की गई थी।इस न्यायालय के समक्ष निवेदन यह था कि सी. पी. सी. के आदेश IX के नियम 13 के तहत आवेदन का विषय और डिक्री के खिलाफ अपील का विषय समान होने के कारण, दो समानांतर कार्यवाही को एक साथ जारी रखने की अनुमति देना सार्वजनिक नीति के खिलाफ है।निर्णय के पैराग्राफ 23 में, इस न्यायालय ने नोट किया कि उसके समक्ष सवाल यह

था कि क्या सी. पी. सी. के आदेश IX के नियम 13 के तहत एक आवेदन खारिज किए जाने के बावजूद एकतरफा डिक्री के खिलाफ अपील बनाए रखने योग्य थी।उक्त निर्णय के अनुच्छेद 24 से 27 इस प्रकार हैंः

बी.

सी.

"24. संहिता की धारा 96 (2) के संदर्भ में एक एकतरफा डिक्री के खिलाफ अपील निम्नलिखित आधारों पर दायर की जा सकती है।

(i) वादी द्वारा मुकदमे में एकतरफा कार्यवाही में रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री उसके पक्ष में डिक्री का अर्थ नहीं होगी, और

डी.

((ii) मुकदमे को एकतरफा सुनवाई के लिए पोस्ट नहीं किया जा सकता था।

25. संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत एक आवेदन में, हालांकि, मामले को एकतरफा सुनवाई के लिए पोस्ट करने के आदेश की शुद्धता या अन्यथा पर सवाल उठाने के अलावा, प्रतिवादी के लिए यह तर्क देना खुला है कि उसके पास संबंधित तिथि पर मुकदमे की सुनवाई में भाग लेने में सक्षम नहीं होने के लिए पर्याप्त और ठोस कारण थे।

ई.

26. जब एक पक्षीय डिक्री पारित की जाती है**,** तो प्रतिवादी के पास **(**एक समीक्षा याचिका दायर करने और धोखाधड़ी के आधार पर एक पक्षीय डिक्री को दरकिनार करने के लिए एक मुकदमे के अलावा**)** दो स्पष्ट विकल्प होते हैं**,** एक**,** अपील दायर करने के लिए और दूसरा संहिता के आदेश **9** नियम **13** के संदर्भ में आदेश को दरकिनार करने के लिए आवेदन दायर करने के लिए।वह एक साथ दोनों कार्यवाहियों का सहारा ले सकता है**,** लेकिन यदि अपील खारिज कर दी जाती है**,** जिसके परिणामस्वरूप निचली अदालत द्वारा पारित एकतरफा डिक्री अपीलीय अदालत द्वारा पारित आदेश के साथ मिल जाती है**,** तो संहिता के आदेश **9** नियम **13** में संलग्न स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए आदेश **9** नियम **13** के तहत एक याचिका बनाए रखने योग्य नहीं होगी।हालाँकि**,** उक्त प्रावधान के साथ जोड़ा गया स्पष्टीकरण यह नहीं बताता है कि विपरीत भी सच है।

एफ.

जी.

एच.

27. संहिता की धारा 105 के संबंध में संहिता की धारा 96 के संदर्भ में दायर एक अपील में, एक अपीलार्थी के लिए वाद में पारित एक अंतर्वर्ती आदेश की शुद्धता या अन्यथा के संबंध में एक विवाद उठाने की भी अनुमति है, जो उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन है।"

[इस अदालत ने कहा कि हालांकि सी. पी. सी. की धारा 96 के तहत एकतरफा डिक्री के खिलाफ अपील खारिज होने के बाद, सी. पी. सी. के आदेश IX के नियम 13 के तहत आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं होगा, लेकिन असफल प्रतिवादी पर एक साथ दोनों उपायों को अपनाने पर कोई रोक नहीं है।ऐसे मामले में, यदि डिक्री के खिलाफ नियमित अपील खारिज कर दी जाती है, तो स्पष्ट रूप से सी. पी. सी. के आदेश IX के नियम 13 के तहत आवेदन आगे नहीं बढ़ सकता है।इसका कारण यह है कि सी. पी. सी. के आदेश IX के नियम 13 का स्पष्टीकरण यह बताता है कि जहां एकतरफा पारित डिक्री के खिलाफ अपील की गई है और अपील को वापस लेने के अलावा किसी अन्य आधार पर निपटाया गया है, वहां एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने के लिए आवेदन नहीं होगा।हालाँकि, सी. पी. सी. के आदेश IX के नियम 13 के तहत एक आवेदन खारिज होने की स्थिति में, प्रतिवादी डिक्री के खिलाफ अपील पर मुकदमा चला सकता है क्योंकि सी. पी. सी. में इसके विपरीत किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में धारा 96 के तहत अपील करने का अधिकार नहीं लिया जा सकता है। उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 38 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब किसी प्रतिवादी द्वारा दायर सी. पी. सी. के आदेश IX के नियम 13 के तहत आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो प्रतिवादी को एकतरफा सुनवाई के लिए मुकदमे को पोस्ट करने के आदेश की शुद्धता या अन्यथा के संबंध में विवाद उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और/या प्रतिवादी के गैर-उपस्थित होने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

8. इस मामले में, सवाल यह है कि जब प्रतिवादी ने सी. पी. सी. के आदेश IX के नियम 13 के तहत उपचार का लाभ नहीं उठाया, तो क्या उसके लिए डिक्री के खिलाफ नियमित अपील में आंदोलन करने के लिए खुला है कि निचली अदालत के पास अपीलार्थी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं था।ऐसे मामले में, हालांकि अपीलकर्ता निचली अदालत

के समक्ष अपनी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण बताने के लिए अपील में साक्ष्य का नेतृत्व करने का हकदार नहीं होगा, वह हमेशा मुकदमे के रिकॉर्ड के आधार पर तर्क दे सकता है कि या तो मुकदमा समन उस पर लागू नहीं किया गया था या अन्यथा भी, निचली अदालत उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने में उचित नहीं थी।कारण यह है कि सी. पी. सी. की धारा 105 के तहत, जब किसी डिक्री के खिलाफ अपील की जाती है, तो निर्णय ए को प्रभावित करने वाले किसी भी आदेश में कोई त्रुटि, दोष या अनियमितता होती है।

जी.

एच.

211

जी. एन. आर. बाबू @एस. एन. बाबू बनाम डी. आर. बी. सी. मुथप्पा और ओ. आर. एस.
[अभय एस. ओकेए, जे.] ए.

अपील ज्ञापन में आपत्ति के आधार के रूप में मामले का उल्लेख किया जा सकता है।इस प्रकार, ऐसे मामले में, अपीलकर्ता हमेशा डिक्री के खिलाफ अपील में आग्रह कर सकता है कि मामले के निर्णय को प्रभावित करने वाले मुकदमे के लंबित रहने के दौरान पारित एक अंतरिम या अंतर्वर्ती आदेश अवैध था।इसलिए, अपीलकर्ता, अपील दायर करके एकतरफा डिक्री को चुनौती देते हुए, हमेशा निचली अदालत के रिकॉर्ड से इंगित कर सकता है कि उसके खिलाफ मुकदमे के साथ आगे बढ़ने के लिए पारित आदेश अवैध था।जैसा कि भानु कुमार जैन 1 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, केवल तभी जब सी. पी. सी. के आदेश IX के नियम 13 के तहत एक प्रतिवादी द्वारा किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाता है कि ऐसा प्रतिवादी एकतरफा डिक्री के खिलाफ अपील में आंदोलन नहीं कर सकता है कि यह निर्देश देने वाला आदेश कि मुकदमा एकतरफा आगे बढ़ेगा, अवैध या गलत था।हालाँकि, इस मामले में, अपीलार्थी ने सी. पी. सी. के आदेश IX के नियम 13 के तहत आवेदन दायर नहीं किया है। इसलिए, इस तरह का विवाद उनके द्वारा उठाया जा सकता है।

बी.

सी.

9. अब हाथ में मामले के तथ्यों पर आते हुए, हम पाते हैं कि 27 अक्टूबर 2014 के निचली अदालत के आदेश पत्र में एक टिप्पणी है कि अपीलार्थी और दूसरे प्रतिवादी को जारी किए गए समन को इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया था कि उनके संबंधित परिसर बंद थे। हालाँकि, 05 जनवरी 2015 को, निचली अदालत ने उसी पते पर पंजीकृत पोस्ट पावती द्वारा समन जारी करने का आदेश दिया।05 मार्च 2015 के आदेश पत्र में दर्ज है कि अपीलार्थी और दूसरे प्रतिवादी को डाक द्वारा भेजे गए समन को "सूचना दी गई" टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया था।इस प्रकार, अभिलेख से पता चलता है कि नियमित रूप से समन देने का प्रयास

विफल रहा क्योंकि अपीलार्थी के परिसर को बंद पाया गया था।निचली अदालत ने सी. पी. सी. के आदेश 5 के नियम 17 के अनुसार, उस परिसर के बाहरी दरवाजे पर समन की एक प्रति चिपकाने का निर्देश नहीं दिया, जिसमें अपीलार्थी रह रहा था। यह सत्यापित किए बिना कि क्या अपीलार्थी का पता, जैसा कि मुकदमे के कारण शीर्षक में दिखाया गया है, सही था, समन को पंजीकृत डाक एडी के माध्यम से तामील करने का आदेश दिया गया था। इसलिए, हमारे विचार में, अपीलार्थी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के लिए कोई वारंट नहीं था।

डी.

ई.

एफ.

10. इसके अलावा, हम प्रत्युत्तर से पाते हैं कि सूट संपत्ति पर भूतल और चार मंजिलों वाली एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया गया है और सूट संपत्ति पर इमारत में आवासीय परिसर पर अलग-अलग व्यक्तियों का कब्जा है।जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सूट संपत्ति पर निर्मित इमारत को ध्वस्त करने के लिए एक आदेश पारित किया गया है।यह एक और कारण है कि हम मुकदमे की रिमांड की प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं।यह मुकदमा वर्ष 2014 में दायर किया गया था।

जी.

एच.

रिमांड का आदेश पारित करने के परिणामस्वरूप, पहले प्रतिवादी द्वारा दायर मुकदमे के निपटारे में देरी होगी।इसलिए, अपीलार्थी को रुपये 2,00,000-(केवल दो लाख रुपये) की लागत के साथ भुगतान करना होगा।यद्यपि हम इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं कि क्या भवन के रहने वाले मुकदमे के लिए आवश्यक पक्ष हैं, पहले प्रतिवादी को, यदि वह चाहता है, तो मुकदमे की संपत्ति पर निर्मित भवन में परिसर के कब्जे वाले व्यक्तियों को शामिल करने की स्वतंत्रता देनी होगी।

बी.

11. तदनुसार, वर्तमान अपील आंशिक रूप से अनुमत है।उच्च न्यायालय द्वारा 22 मार्च 2016 को पारित विवादित निर्णय और आदेश के साथ-साथ बैंगलोर में सिटी सिविल कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश द्वारा 19 सितंबर 2015 को पारित विवादित निर्णय और डिक्री को इसके द्वारा

खारिज कर दिया जाता है।2014 के मूल सूट No.6610 को सिटी सिविल कोर्ट, बैंगलोर की फाइल में बहाल कर दिया गया है।

सी.

12. अपील के पक्षकार सोमवार, 26 सितंबर 2022 को 10 बजे बैंगलोर में सिटी सिविल कोर्ट के विद्वान प्रधान न्यायाधीश के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे:30 ए. एम. सिटी सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के लिए यह खुला रहेगा कि वह मुकदमे को निपटाने के लिए सिटी सिविल कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को स्थानांतरित कर सकते हैं।अपीलार्थी 26 सितंबर 2022 से अधिकतम एक महीने की अवधि के भीतर अपना लिखित बयान दाखिल करेगा।किसी भी परिस्थिति में, अपीलार्थी को लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा वर्ष 2014 का है, निचली अदालत मुकदमे के निपटारे को आवश्यक प्राथमिकता देने का प्रयास करेगी।

डी.

ई.

13. प्रथम प्रत्यर्थी अपीलार्थी से रु. 2,00,000-(केवल दो लाख रुपये) पर निर्धारित लागत का हकदार होगा।लागत का भुगतान पूर्ववर्ती शर्त होगी।अपीलार्थी या तो सीधे प्रथम प्रत्यर्थी को लागत राशि का भुगतान करेगा और आज से चार सप्ताह के भीतर उसकी रसीद प्रस्तुत करेगा या आज से चार सप्ताह के भीतर सिटी सिविल कोर्ट में लागत राशि जमा करेगा।

एफ.

जी.

दिव्या पांडे

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

एच.